भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2275

जिसका उत्तर शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025/10 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की कालाबाजारी

2275. श्री अभय कुमार सिन्हा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार विशेषकर, सहरसा, गया और औरंगाबाद जिलों की उर्वरकों की कालाबाजारी और कृत्रिम कमी किसानों के लिए समस्याएं पैदा कर रही है;
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या सुधारात्मक कार्रवाई और निगरानी उपाय किए गए हैं;
(ग) वर्तमान में बिहार में यूरिया, डीएपी और अन्य प्रमुख उर्वरकों के उपलब्ध स्टॉक का जिलावार ब्यौरा क्या है;
(घ) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अब तक केंद्र सरकार द्वारा बिहार राज्य सरकार को उर्वरकों के लिए स्वीकृत और वितरित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और
(ड.) आगामी रबी और खरीफ मौसम में उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने या उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं;

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य के सहरसा, गया और औरंगाबाद जिलों में इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है।

(ग): उर्वरक विभाग का अधिदेश राज्य स्तर पर उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। हालाँकि, राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तदनुसार, बिहार राज्य सरकार से राज्य में यूरिया, डीएपी, एनपीकेएस और एमओपी के जिला-वार स्टॉक के संबंध में प्राप्त सूचना **अनुलग्नक** में दी गई है।

(घ): 'उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण(डीबीटी)' प्रणाली के तहत, लाभार्थियों को प्रत्येक खुदरा दुकान पर स्थापित पीओएस उपकरणों के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के आधार पर की गई वास्तविक बिक्री

पर उर्वरक का उत्पादन/आयात करने वाली कंपनियों को विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर 100% सब्सिडी जारी की जाती है न कि राज्य सरकारों को। इसलिए, बिहार राज्य सरकार को विशेष रूप से कोई निधि संस्वीकृत या संवितरित नहीं की जाती है।

(ङ): उर्वरक को एक आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 और उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 के तहत अधिसूचित किया गया है। उर्वरकों की कालाबाजारी को रोकने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 (एफसीओ) के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए उर्वरकों की कालाबाजारी में संलिप्त किसी व्यक्ति/उर्वरक कंपनी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए एफसीओ के अंतर्गत राज्य सरकारों को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं। तदनुसार, बिहार राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, उर्वरकों की कालाबाजारी को रोकने के लिए किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) जिला स्तर पर छापेमारी की गई है। खरीफ मौसम 2025 (दिनांक 30.07.25 तक) में अब तक 19 एफआईआर दर्ज की गई और 157 लाइसेंस रद्द किए गए हैं।

(ii) किसी भी प्रकार की कदाचार की जांच के लिए पीओएस के अनुसार उर्वरक स्टॉक और गोदाम में उपलब्ध उर्वरक का वास्तविक सत्यापन नियमित रूप से किया गया है।

(iii) शीर्ष-20 यूरिया क्रेता का सत्यापन नियमित आधार पर किया जाता है।

(iv) प्रत्येक रेक पॉइंट के लिए रेक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जिले के भीतर रेक पॉइंट से उर्वरक की उचित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सत्यापन किए जाते हैं।

(v) विभाग ने उर्वरक की कालाबाजारी, जमाखोरी और तस्करी को रोकने के लिए डीलरों की नियमित निगरानी के लिए ऑनलाइन निरीक्षण ऐप विकसित किया है।

(vi) उर्वरक की कालाबाजारी, जमाखोरी और तस्करी को रोकने हेतु नियमित निगरानी के लिए नियमित आधार पर विशेष निरीक्षण दल का गठन किया गया है।

(vii) उर्वरक की उपलब्धता, उर्वरक के एकसमान वितरण की निगरानी के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उर्वरक समिति का गठन किया गया है।

इसके अलावा,देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक फसल मौसम से पहले निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:

i. प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

ii. अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

iii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

iv. डीएएंडएफडब्ल्यू और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि पदाधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरक भेजने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

****

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक दिनांक 01.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2275 के भाग (ग) के उत्तर से संबंधित है।					
30.07.25 की स्थिति के अनुसार बिहार में जिला स्तर पर उर्वरक स्टॉक की स्थिति (आंकड़े मीट्रिक टन में)					
क्रम.सं.	**जिला**	**यूरिया**	**डीएपी**	**एनपीकेएस**	**एमओपी**
1	अररिया	6,336	2,888	6,065	2,409
2	अरवल	3,529	413	1,580	104
3	औरंगाबाद	13,227	906	5,879	1,161
4	बांका	7,114	1,456	3,546	654
5	बेगूसराय	11,841	6,214	6,993	3,492
6	भागलपुर	10,805	3,675	8,863	1,203
7	भोजपुर	19,327	2,888	11,552	1,449
8	बक्सर	12,686	2,074	8,605	544
9	दरभंगा	13,397	2,364	3,316	1,102
10	गया	16,901	3,943	9,235	1,012
11	गोपालगंज	5,586	1,044	1,832	486
12	जमुई	4,993	1,713	1,829	84
13	जहानाबाद	5,724	1,012	3,619	265
14	कैमूर (भभुआ)	7,115	690	2,812	368
15	कटिहार	5,300	2,931	7,850	1,511
16	खगरिया	13,491	6,634	7,204	3,561
17	किशनगंज	4,628	1,662	3,926	614
18	लखीसराय	4,508	1,621	972	186
19	मधेपुरा	7,033	4,551	8,443	2,008
20	मधुबनी	13,521	2,887	3,073	1,265
21	मुंगेर	5,238	1,769	640	165
22	मुजफ्फरपुर	16,877	4,352	9,767	4,239
23	नालन्दा	13,969	2,125	10,367	631
24	नवादा	6,756	1,036	2,481	88
25	पश्चिम चंपारण	1,062	3,296	4,295	3,151
26	पटना	14,680	2,510	8,637	832
27	पूर्वी चंपारण	8,900	3,463	6,630	3,567
28	पूर्णिया	8,384	7,750	21,196	6,387
29	रोहतास	13,391	2,708	8,275	1,167
30	सहरसा	3,890	3,113	4,189	1,958
31	समस्तीपुर	14,099	3,747	5,587	2,604
32	सारण	11,591	1,716	4,897	1,002
33	शेखपुरा	4,299	628	1,508	53
34	शिवहर	1,807	120	354	192
35	सीतामढ़ी	11,246	2,064	6,440	2,129
36	सिवान	12,729	2,290	3,302	765
37	सुपौल	4,281	2,474	5,280	1,754
38	वैशाली	10,664	5,031	11,049	6,336
कुल		**3,50,923**	**1,01,756**	**2,22,088**	**60,498**